बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

संख्या प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

विषय :– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली – 1987 यथासंशोधित 2006 के नियम 3 के उप नियम (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को षष्टम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में मानदेय एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन था। विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों का क्रमश 12,500/– (बारह हजार पॉच सौ) रू0 एवं 9500/– (नौ हजार पॉच सौ) प्रतिमाह मानदेय तथा 1000/– (एक हजार) रू0 एवं 500/– (पॉच सौ) रू0 प्रतिमाह परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4 राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय एवं परिवहन भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के अगले अंक में किया जाय।

21/04/2011

(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में पॉच अतिरिक्त प्रतियॉ एवं सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियॉ विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

21/04/2011

प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01 75/2003 2789 खाद्य, पटना/ दिनांक – 25.4.2011

प्रतिलिपि – सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव (बजट)/प्र0 पदा0, 01,02, एवं 05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/04/2011

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1796 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– बिहार राज्य प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 03.03.2011 को आयोजित काउन्सेलिंग के समय निर्मित पैनल से राज्य आयोग/राज्य के सभी जिला उपभोक्ता फोरमों के लिए निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरमों में निम्नवर्गीय लिपिक/बेंच क्लर्क के अनेक पद रिक्त पड़े हुये है। इन सृजित पदो के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1997 में नियुक्ति की कार्रवाई की गयी थी। उक्त नियुक्ति बिहार राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मियों को समायोजित करते हुये की गयी थी। इनकी नियुक्ति का निर्णय राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत रोस्टर निर्धारित करा कर किया गया था। विभाग के निर्णयानुसार समायोजित कर्मियों की नियुक्ति जिला पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मियों को संबंधित जिला संवर्ग में विलीन करने संबंधी आदेश भी निर्गत किये गये थे लेकिन इसके बावजूद भी विभिन्न जिलों में उपभोक्ता फोरमों में पद रिक्त पदों पर नियमित अथवा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर कारगर पहल नही हो सकने के कारण तृतीय श्रेणी के अधिकांश पद रिक्त पड़े हुये है जिससे फोरम का कार्य प्रभावित हो रहा है।

2 कृपया ज्ञातव्य हो कि जिला फोरम, सारण के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हेतु अवमाननावाद संख्या 10/2011 दायर किया गया है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु आदेश पारित किया गया है। बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 6 के अनुसार फोरम के वर्ग 3 के सभी पद राज्य स्तरीय है। जिला उपभोक्ता फोरम, छपरा में वर्ग 3 एवं 4 के पद रिक्त रहने के फलस्वरूप हाल ही में एक अवमाननावाद भी राज्य सरकार के विरूद्व दायर किया गया है। फलस्वरूप वर्ग 3 के रिक्त पदो को भरे जाने हेतु नियमित नियुक्ति की कार्रवाई विभाग के द्वारा आरंभ कर दी गयी है।

3 जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता एवं भारत सरकार द्वारा निदेशित कॉन्फोनेट योजना के तहत जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग के न्यायालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ते हुये सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का संघारण ऑनलाईन करने की अनिवार्यता को ध्यानगत रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

4 नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब होने की संभावना को ध्यान में रखते हुये विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रखंड स्तर पर संविदा के आधार पर प्रखंड सूचना एवं प्राद्योगिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत जिलावार आवेदन आमंत्रित किये गये है। सूचनानुसार प्राप्त आवेदनों के आधार पर कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेघा सूची संबंधित जिले के बेवसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। सभी जिलों में काउन्सेलिंग हेतु एकीकृत तिथि दिनांक 03.03.2011 निर्धारित की गयी है। इस प्रक्रिया के तहत चयनित सभी उम्मीदवार कंडिका 3 पर वर्णित रिति से न्यायालीय कार्य संपादित करने में सर्वथा उपयुक्त होगें।

5 अतः उपर वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि सभी जिला फोरमों के निम्नवर्गीय लिपिक एवं बेंच क्लर्क के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इसी पैनल से आरक्षण रोस्टर के आलोक में अभ्यर्थियों को चयनित कर जिला फोरम में अपने स्तर से नियुक्त/पदस्थापित किया जाय। जिलावार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची इसके साथ संलग्न है। यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 (यथासंशोधित संकल्प संख्या 1718 दिनांक 06.05.2010) के प्रावधानों के आलोक में की जानी है। आरंभ में यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति सम्पन्न हो जाने के पश्चात, इनमें जो पहले हो, तक के लिए की जायेगी। आवश्यकतानुसार इनके संविदा की अवधि का विस्तार एक वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा। परन्तु संविदा अवधि में इनकी सेवा संतोषप्रद नही पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

6 संविदा आधारित नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान व्यावसायिक सेवा मद से किया जायेगा जिस हेतु अध्यक्ष, जिला फोरम आवंटन हेतु अधियाचना विभाग को उपलब्ध करायेगें।

अतः अनुरोध है कि कंडिका 5 में वर्णित तथ्यों के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार उम्मीदवारों को चयनित कर नियुक्त करने की कृपा की जाय एवं सूचना विभाग को भी दी जाय।

विश्वासभाजन

Sd/- 4/03/2011

प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02–बी01 53/2010 1796 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यहित में जिला फोरम के पदों को पत्र में वर्णित प्रक्रिया से शीघ्र भरे जाने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक निदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना एवं सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 4/03/2011

प्रधान सचिव

उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिला उपभोक्ता फोरम के अधीन लिपिक/बेंच लिपिक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकीकृत राज्य स्तरीय रोस्टर के अनुरूप जिलावार/कोटिवार रिक्ति की सूची।

क्र0 सं0	जिला फोरम/राज्य आयोग का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति						कुल
			अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग की महिला	अनारक्षित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अररिया	2	1		1				2
2	अरवल	3	2		1				3
3	औरंगाबाद	1		1					1
4	बॉका	2		1		1			2
5	बेगुसराय	1	1						1
6	भागलपुर	0							0
7	भोजपुर	1		1					1
8	बक्सर	2			1		1		2
9	दरभंगा	1	1						1
10	गया	1						1	1
11	गोपालगंज	3	1			1		1	3
12	जमुई	3			1			2	3
13	जहानाबाद	2					1	1	2
14	कैमुर (भभुआ)	3	1		1			1	3
15	कटिहार	1						1	1
16	खगड़िया	2				1		1	2
17	किशनगंज	2			1			1	2
18	लखीसराय	2	1					1	2
19	मधेपुरा	1				1			1
20	मधुबनी	1						1	1
21	मुंगेर	3	1		1			1	3
22	मुजफ्फरपुर	0							0
23	नालंदा	1						1	1
24	नवादा	1			1				1
25	प0 चम्पारण	2				1		1	2
26	पटना	1						1	1
27	पूर्णिया	1	1						1
28	पूर्वी चम्पारण	0							0
29	रोहतास	1						1	1
30	सहरसा	2	1		1				2
31	समस्तीपुर	1			1				1
32	सारण	3	1			1		1	3
33	शेखपुरा	1	1						1
34	शिवहर	3		1	1			1	3
35	सीतामढी	2	1			1			2
36	सिवान	3			1			2	3
37	सुपौल	2	1					1	2
38	वैशाली	1			1				1
39	राज्य आयोग	1						1	1
	कुल	63	15	4	13	7	2	22	63

(प्रधान सचिव)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना

15 मार्च, 2011 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

राज्य उपभोक्ता हेल्प लाईन-टोल फ्री नं० - 18003456188

इस नंबर पर बिहार राज्य के सभी उपभोक्ता बिना शुल्क के अपनी उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

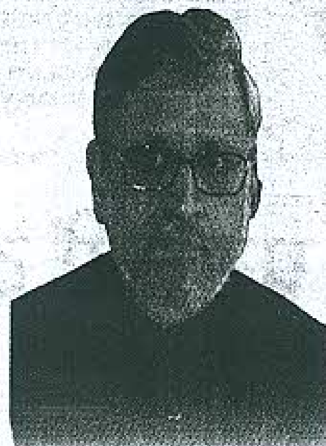

एक्सपायर्ड वस्तु, भारत छोड़ों !

जागो ग्राहक जागो

उपभोक्ता अपने हितों के संवर्द्धन एवं सुरक्षा के लिए निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान दें।

(117)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– जिला उपभोक्ता फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि वर्ष 1997 में सभी जिला फोरमों के रिक्त वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मचारियों को समायोजन के आधार पर नियुक्त किया गया था। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों में अधिकांश अब सेवानिवृत/मृत हो चुके है तथा जो कर्मचारी शेष बचे हुये है वे भी सेवानिवृति के कगार पर है। फोरम के अधिकांश कर्मियों के सेवानिवृति के कारण कार्यालय का दैनिक कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। कतिपय जिला फोरमों में एक भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कार्यरत नही रहने के कारण फोरम कार्यालय में झाडु लगाने अथवा ताला खोलना भी संभव नही हो रहा है। चौकीदार के अभाव में कार्यालय के अभिलेख की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

वर्ष 1997 के निर्णयानुसार इस श्रेणी के कर्मियों का संवर्ग जिला स्तरीय है जिसके संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी जिलाधिकारी ही है। जिला उपभोक्ता फोरम के कार्य की प्रकृति की विशिष्टता को मददेनजर रखते हुये सिर्फ वर्ग 3 के रिक्त पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विभागीय स्तर से केन्द्रीयकृत रोस्टर के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि जिला फोरम के रिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति अथवा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के प्रावधानों के आलोक में रोस्टर का अनुपालन करते हुये नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र की जाय एवं सूचना विभाग को भी दी जाय। ज्ञातव्य हो कि जिला उपभोक्ता फोरम, सारण (छपरा) से संबंधित समादेश याचिका का निस्तार करते हुये मा0 पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निदेश पारित किया गया है। कृपया प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
(ह0) 4/03/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02–बी01 53/2010 1795 खाद्य, पटना/ दिनांक– 4.3.2011

प्रतिलिपि – निबंधक, राज्य आयोग/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 4/03/2011
प्रधान सचिव

118

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02 वि01– 24/2008 – 6520 खाद्य, पटना/ दिनांक– 8.11.2010

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण,
सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार,।

विषय :– जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना में राज्य खाद्य निगम के समायोजित कर्मचारियों को पेंशनादि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि, वर्ष 1997 में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता फोरम के रिक्त वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर राज्य खाद्य निगम के अतिरेक कर्मियों को समायोजन के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस श्रेणी के नियुक्त कर्मी अब सेवा निवृत हो रहे है तथा कुछ सेवा निवृत भी हो चुके है। ऐसे कर्मियों के द्वारा सेवांत लाभो की स्वीकृति हेतु निगम में बितायी गयी सेवा अवधि को जोड़कर गणना किये जाने हेतु आवेदन दिया जाता है तथा मा0 पटना उच्च न्यायालय में अनेक समादेश याचिकायें भी दायर किये जाते है। निगम की सेवा से समायोजन के आधार पर नियुक्त कर्मियों का पेंशनादि की स्वीकृति हेतु निगम में बितायी गयी अवधि पेंशन प्रदायी होगी अथवा नही, यह मामला सरकार के विचारधीन था। इस आलोक में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया एवं परामर्शनुसार निगम की सेवा अवधि किसी भी रूप में पेंशन प्रदायी नही होने का परामर्श वित्त विभाग द्वारा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि, राज्य खाद्य निगम के वैसे समायोजित कर्मचारी जो सेवा निवृत हो चुके है अथवा होने वाले है, उनके पेंशनादि के निर्धारण/स्वीकृति हेतु निगम की सेवा अवधि की गणना नही की जाय। ऐसे कर्मियों के पेंशनादि का निर्धारण/स्वीकृति बिहार पेंशन नियमावली के नियम 58 के अनुसार किया जायेगा। इस आलोक में विभागीय पत्रांक 4860 दिनांक 17.11.2009 द्वारा भी आवश्यक निदेश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है, जिसका पालन दृढ़ता से किया जाय।

साथ ही, यदि किसी कर्मचारी को निगम की सेवा अवधि जोड़कर पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो उसे उपर्युक्त के आलोक में संशोधित किया जाय तथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली की जाय।

विश्वासभाजन
(ह0) 8/XI/2010
प्रधान सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01– 24/2008 – 6520 खाद्य, पटना/ दिनांक– 8.11.2010

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे भी अनुरोध है कि, उपर्युक्त के आलोक में यदि किसी मामले में निगम की सेवा अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो उसे इस आलोक में पुनरीक्षित की जाय एंव अधिकाय व्यय की राशि की वसूली दृढ़तापूर्वक की जाय। सूचना विभाग को भी दी जाय।

(ह0) 8/XI/2010
प्रधान सचिव

D:/ food supply sec-2 Direc 2010

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 464] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/श्रावण 29, 1931

No. 464] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 591(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 के उप-नियम (6) में,—

(क) ''रेलगाड़ियों द्वारा'' से प्रारंभ होने और ''आने और जाने के हकदार होंगे'' पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर ''मितव्ययी श्रेणी वायु भाड़े के हकदार होंगे'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''एक हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) ''दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पाँच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10(2)/2003-सी पी यू]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किए गए :

1. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 14-8-1991
2. सा.का.नि. 800(अ) तारीख 30-12-1993
3. सा.का.नि. 522(अ) तारीख 22-6-1994
4. सा.का.नि. 605(अ) तारीख 30-8-1995
5. सा.का.नि. 759(अ) तारीख 21-11-1995
6. सा.का.नि. 95(अ) तारीख 27-2-1997
7. सा.का.नि. 88(अ) तारीख 24-2-1998
8. सा.का.नि. 175(अ) तारीख 5-3-2004
9. सा.का.नि. 50(अ) तारीख 1-2-2005
10. सा.का.नि. 64(अ) तारीख 10-2-2005
11. सा.का.नि. 67(अ) तारीख 11-2-2005
12. सा.का.नि. 273(अ) तारीख 5-5-2006
13. सा.का.नि. 462(अ) तारीख 4-8-2006
14. सा.का.नि. 637(अ) तारीख 13-10-2006 और
15. सा.का.नि. 380(अ) तारीख 2-6-2009

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2009

G.S.R. 591(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (6) of rule 4 of the Consumer Protection Rules, 1987,—

(a) for the portion beginning with "avail first class or two-tier air conditioned" and ending with "journeys provided the distance being travelled is 1000 kms or above", the words "economy class air fare" shall be substituted;

(b) for the letters and figures "Rs. 1000", the words "Rupees two thousand" shall be substituted;

(c) for the letters and figures "Rs. 200", the words "Rupees five hundred" shall be substituted.

[F. No. 10(2)/2003-CPU]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 398(E), dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide* notification numbers :

1. GSR 533(E) dated 14-8-1991
2. GSR 800(E) dated 30-12-1993
3. GSR 522(E) dated 22-6-1994
4. GSR 605(E) dated 30-8-1995
5. GSR 759(E) dated 21-11-1995
6. GSR 95(E) dated 27-2-1997
7. GSR 88(E) dated 24-2-1998
8. GSR 175(E) dated 5-3-2004
9. GSR 50(E) dated 1-2-2005
10. GSR 64(E) dated 10-2-2005
11. GSR 67(E) dated 11-2-2005
12. GSR 273(E) dated 5-5-2006
13. GSR 462(E) dated 4-8-2006
14. GSR 637(E) dated 13-10-2006 and
15. GSR 380(E) dated 2-6-2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2009/ज्येष्ठ 12, 1931
No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2009/JYAISTHA 12, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2009

सा.का.नि. 380(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 11 के उप-नियम (1क) में,

(i) खण्ड (ग) में, ''आठ हजार रुपए प्रतिमास'' शब्दों के लिए ''1 सितम्बर, 2008 से पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा :—

''स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि सदस्यों को चालक द्वारा चलाए जाने वाले सरकारी यान प्रदान नहीं किया जाता है या यदि सदस्य वाहन भत्ते के स्थान पर भाड़े के यान का विकल्प नहीं देते हैं, तो सदस्यों को दस हजार रुपए प्रतिमास की दर से यान भत्ते और एक सौ पचास लीटर पेट्रोल की कीमत का भुगतान किया जाएगा।''

[फा. सं. 1(2)/2002-सी पी यू]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि 533(अ) तारीख 14-8-1991
2. सा.का.नि 800(अ) तारीख 30-12-1993
3. सा.का.नि 522(अ) तारीख 22-6-1994
4. सा.का.नि 605(अ) तारीख 30-8-1995
5. सा.का.नि 759(अ) तारीख 21-11-1995
6. सा.का.नि 95(अ) तारीख 27-2-1997
7. सा.का.नि 88(अ) तारीख 24-2-1998
8. सा.का.नि 175(अ) तारीख 5-3-2004
9. सा.का.नि 50(अ) तारीख 1-2-2005
10. सा.का.नि 64(अ) तारीख 10-2-2005
11. सा.का.नि 67(अ) तारीख 11-2-2005
12. सा.का.नि 273(अ) तारीख 5-5-2006
13. सा.का.नि 462(अ) तारीख 4-8-2006 और
14. सा.का.नि 637(अ) तारीख 13-10-2006

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2009

G.S.R. 380(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

(1) **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1A) of rule 11 of the Consumer Protection Rules, 1987,—

(i) in clause (c), for the words "eight thousand rupees per month", the words "twenty five thousand rupees per month with effect from 1st September, 2008" shall be substituted;

(ii) after clause (d), the following explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation:**— For the purpose of this clause, if the members are not provided with chauffeur driven government vehicle or if the members do not opt for hired vehicle in lieu of conveyance allowance, the members shall be paid conveyance allowance per month at the rate of ten thousand rupees and the cost of one hundred fifty litres of petrol."

[F. No. 1 (2)/2002-CPU]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number GSR 398 (E), dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide* notification numbers:—

1. GSR 533 (E) dated 14-8-1991,
2. GSR 800 (E) dated 30-12-1993,
3. GSR 522 (E) dated 22-6-1994,
4. GSR 605 (E) dated 30-8-1995,
5. GSR 759 (E) dated 21-11-1995,
6. GSR 95 (E) dated 27-2-1997,
7. GSR 88 (E) dated 24-2-1998,
8. GSR 175 (E) dated 5-3-2004,
9. GSR 50 (E) dated 1-2-2005,
10. GSR 64 (E) dated 10-2-2005,
11. GSR 67 (E) dated 11-2-2005,
12. GSR 273 (E) dated 5-5-2006,
13. GSR 462 (E) dated 4-8-2006 and
14. GSR 637(E) dated 13-10-2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(123) 168

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र02वि01-13/2008 4447 /खाद्य,पटना/दिनांक- 19.8.08

प्रेषक,

राधा रानी,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार
सभी जिला दण्डाधिकारी

विषयः- जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की नियुक्ति संबधी दैनिक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाप्त हो गयी है, कतिपय जिलो से नियुक्ति के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाए इस संबंध में दिशा निर्देश की मांग की गई है, जिसके लिए निर्देश निम्नवत है :-

(1) नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य आयोग के पत्र सं0- 408 दिनांक- 20.05.03 द्वारा जिला स्तरीय स्क्रीनींग कमिटी ही मान्य है । जिसमें स्क्रीनींग कमिटी द्वारा आवेदकों का साक्षात्कार लिए जाने का प्रावधान है ।

(2) जब स्क्रीनींग कमिटी मान्य है, तो पूर्व में जैसे नामों की अनुसंशा भेजी जाती थी वैसे ही अनुसंशा भेजनी है ।

(3) राज्य आयोग के पत्र सं0- 287 दिनांक- 26.04.05 की कंडिका 2 के अनुसार अधिवक्ताओं का नाम अनुशंसित नहीं करने का निर्देश लागू रहेगा ।

(4) अधिसूचना सं0- 381 दिनांक- 25.01.07 की कंडिका 3 राज्यस्तरीय चयन समिति के लिए लागू है न कि स्क्रीनींग कमिटी के लिए ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।

26/8/08

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

पत्रांक-प्र02/वि1-75/03 1366 /खाद्य-पटना-15, दिनांक - 12.4.07

विषयः- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित राज्य आयोग के सदस्य को 10,000/- (दस हजार) रूपये प्रतिमाह मानदेय तथा 400/- (चार सौ) रूपये परिवहन भत्ता एवं जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को 7500/- (सात हजार पाँच सौ) रूपये मासिक मानदेय तथा 400/- (चार सौ) रूपये परिवहन भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियामावली-06 के नियमों 3 (1) एवं 6 (1) के आलोक में राज्य में कार्यरत राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों के मानदेय में वृद्धि एवं परिवहन भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है । तदनुसार राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के सदस्यों के मानदेय एवं परिवहन भत्ता के निर्धारण के संबंध में निम्न रूप में निर्णय लिया गया है :-

2. बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-1987 के नियमानुसार पूर्व में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण के सदस्यों को 3000/- (तीन हजार) रूपये मासिक मानदेय प्राप्त होता था, जिसमें संशोधन कर राज्य आयोग के सदस्यों को मानदेय 10,000/- (दस हजार) रूपये प्रतिमाह एवं 400/- (चार सौ) रूपये परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

3. जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को पूर्व में 2000/- (दो हजार) रूपये मासिक मानदेय प्राप्त होता था जिसमें संशोधन कर जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों का मानदेय-7500/- (सात हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह एवं 400/- रूपये परिवहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

4. राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के सदस्यों को संशोधित मानदेय एवं परिवहन भत्ता संकल्प निर्गत की तिथि से देय होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में किया जाय ।

12.4.07

(के0 सी0 साहा)

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 खाद्य-पटना-15,दिनांक -

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना को इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु पाँच प्रतियों में प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 - 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव विभागध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अवर सचिव/प्र0 पदा0 - 1-2-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-प्र02वि-1-75/03 1366 खाद्य-पटना-15,दिनांक - 12-4-07

प्रतिलिपिः निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12-4-07

आयुक्त एवं सचिव ।

[redacted]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ 1928 (श०)

(सं० पटना -104) पटना, सोमवार, 29 जनवरी, 2007

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी, 2007

सं०-प्र०2।वि०-1-22।03--381—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली 2006

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगी जो राज्य सरकार द्वारा बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

2. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-3 के उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"जिला फोरम के अध्यक्ष को, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो तो जिला न्यायाधीश का वेतन और यदि अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया हो तो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से मानदेय प्राप्त होगा। अन्य सदस्य, यदि वे पूर्ण कालिक आधार पर हों, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से मानदेय के साथ परिवहन भत्ता के हकदार होंगे और यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त हों, प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, नियत किये गये मानदेय का हकदार होंगे।"

3. उक्त नियमावली, 1987 के नियम 3 के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित एक नया उप-नियम (1क) जोड़ा जायेगा :—

"(1क) प्रत्येक जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-10(1क) में उल्लिखित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। चयन समिति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये गुणागुण के आधार पर मूल्यांकन के पश्चात अभ्यर्थियों के नाम का एक पैनल, राज्य सरकार के विचार के लिये अनुशंसित करेगी।"

4. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-3 के उप-नियम (5) के खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (च) जोड़ा जाएगा—

"(च) जिला फोरम के अध्यक्ष।सदस्य अपने कार्यकाल तक कोई भी चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक उनके द्वारा धारित पद के लिए त्यागपत्र स्वीकृत न हो गया हो और वे पद से त्याग पत्र देकर स्वीकृति के पश्चात् फोरम में पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होंगे । बिना स्वीकृति प्राप्त किये चुनाव लड़ने की दशा में, उनके द्वारा धारित पद पर उनकी नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी ।"

5. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-4 के उप-नियम-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"जिला फोरम का कार्यालय संबंधित जिला मुख्यालय में अवस्थित रहेगा, जिनकी अधिकारिता संबंधित जिले की क्षेत्रीय सीमा के भीतर होगी ।"

6. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-4 के उप-नियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"जिला फोरम का कार्यदिवस एवं कार्यकाल राज्य सरकार के कार्यालयों के कार्यदिवस एवं कार्यकाल के समरूप होगा" ।

7. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-6 के उप-नियम—(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"राज्य आयोग के अध्यक्ष को यदि उन्हें पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया गया हो, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और यदि अंशकालीन आधार पर नियुक्त किया गया हो, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से मानदेय प्राप्त होगा । अन्य सदस्य को यदि वे पूर्णकालिक आधार पर हो, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत की गई दर से मानदेय एवं परिवहन भत्ता प्राप्त होगा और यदि अंशकालिक आधार पर हों, वे प्रत्येक बैठक के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये गए मानदेय के हकदार होंगे ।"

8. उक्त नियमावली, 1987 के नियम 6 के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित नया उप-नियम (1क) जोड़ा जाएगा :—

"राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-10(1) 'क' में वर्णित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । चयन समिति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये गुणागुण के आधार पर स्वप्रेरणा से मूल्यांकन के पश्चात् अभ्यर्थियों के नामों का एक पैनल, राज्य सरकार के विचारण के लिये अनुशंसित करेगी ।"

9. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-6 के उप-नियम-(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 5 वर्षों के लिये अथवा 67 वर्ष की उम्र सीमा तक, इनमें से जो भी पहले हो अपना पदधारण करेंगे एवं पुर्ननामांकन के पात्र होंगे ।"

10. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-6 के उपनियम-(5) के खंड (ङ) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (च) जोड़ा जाएगा :—

"(च) राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने कार्यकाल तक कोई भी चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक उनके द्वारा धारित पद के लिये त्यागपत्र स्वीकृत न हो गया हो, और वे पद से त्यागपत्र देकर स्वीकृति के पश्चात् फोरम में पुनर्नियुक्ति के हकदार नहीं होंगे । बिना स्वीकृति की प्राप्ति के चुनाव लड़ने की दशा में, उनके द्वारा धारित पद पर उनकी नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जायेगी ।"

11. उक्त नियमावली, 1987 के नियम-7 के उप-नियम-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यकाल राज्य सरकार के कार्यालयों के कार्यदिवस एवं कार्यकाल के ही समरूप होगा ।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के० सी० साहा,
आयुक्त एवं सरकार के सचिव ।

FOOD SUPPLY & COMMERCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 25th January, 2007

No. P2 B-1722/03 381-Food.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the "The Bihar Consumer Protection Rules 1987."

The Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules 2006.

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) These Rules may be called "The Bihar Consumer Protection (Amendment) Rules 2006."

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date which is appointed by the State Government by notification in the Bihar Gazette.

2. Sub Rule (1) of Rule 3 of the said Rules, 1987 will be substituted by the following:—

"The Chairman of the District Forum, if appointed on a full time basis, will receive the salary of a District judge and if the appointment is on the part time basis, they will receive an honorarium on the rate fixed by the State Government from time to time. The other members, if appointed on a full time basis, will be entitled to an honorarium on the rate fixed by the State Government from time to time along with the conveyance allowance and if appointed on a part time basis, they will be entitled to an honorarium fixed by the State Government from time to time for every sitting.

3. The following new Sub Rule (1A) shall be added after Sub Rule (1) of Rule- 3 of the said Rule 1987 :-

" (1A) The Chairman and the members of every District Forum will be appointed by the State Government on the basis of recommendation of the Selection Committee mentioned in section 10(1A) of the Consumer Protection Act. The Selection Committee will recommend a panel of candidates for the appointment as member after evaluation on merit/demerit basis for consideration to the State Government."

4. The following new clause (f) shall be added after clause (e) of Sub Rule(5) of Rule-3 of said Rules. 1987 :

" (f) The Chairman/Members of the District Forum during his/her tenure will not contest any election unless his/her, resignation has been accepted for the post held by them and not be entitled for re-appointment. Their appointment to the posts held by them will suo-motto be terminated in case their contest election without having permission to do so.

5. Sub Rule (1) of Rule-4 of said Rule. 1987 will be substituted by following para :-

" The office of the District Forum will be located at the respective District Head Quarters, whose jurisdiction will be within the regional boundary of the respective Districts "

6. Sub Rule (2) of Rule -4 of said Rules, 1987 will be substituted by following :-

" The working day and holiday of the District Forum will be similar to that of offices of the State Government "

7. Sub Rule (1) of Rule- 6 of said Rules, 1987 will be substituted by following :-

" The Chairman of the State Commission, if appointed on a full time basis will receive the salary of the Hon'ble High Court Judge and if the appointment is on part time basis, he will receive the honorarium on the rate fixed by the State Government from time to time The other Members if appointed on a full time basis will be entitled to an honorarium fixed by the State Government form time to time along with the conveyance allowance and if appointed on part time basis, they will be entitled to an honorarium fixed by the State Government from time to time for every sitting.

8. The following new Sub Rule (1A) shall be added after Sub Rule (1) of Rule 6 of the said Rules 1987 .

" The Members of the State Commission will be appointed by the State Government on the basis of recommendation of a Selection Committee mentioned in section 10 (1A) of the Consumer Protection Act. The Selection Committee will recommend a panel of candidates for the appointment as Member after evaluation on its own motion on merit/demerit basis for consideration to the State Government. "

9. Sub Rule (4) of Rule 6 of the said Rules 1987 will be substituted by following :

" The Hon'ble Chairman and the Member of the State Commission will hold his / her post for 5 years or 67 years of his / her age whichever is earlier and eligible for reappointment.

10. The following new clause (f) shall be added after clause - (e)of Sub Rule - (5) of Rule 6 of the said Rules. 1987 :-

" (f) The Hon'ble Chairman/ Members of the State Commission during his / her tenure will not contest any election unless his / her resignation has been accepted for the post hold and not be entitled for reappointment. Their appointment to the posts held by them will suo-motto be terminated in case they contest any election without having permission to do so.

11. Sub Rule (2) of Rule - 7 of said Rules, 1987 will be substituted by following :-

" The working days and holiday of the State Commission will be similar to the offices of the State Government.

By order of Governor of Bihar

K. C. SAHA

Commissioner-cum-Secretary

131

राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना ।

पत्रांक-रा0 आ0/उ0 सं0-07/03--408 दिनांक 20.5.03

प्रेषक,

श्री राम [illegible],
सचिव ।

सेवामें,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार
" अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार
" जिला पदाधिकारी, बिहार ।

विषय :- जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमिटि का गठन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि राज्य आयोग के निर्णयानुसार जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमिटि का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नांकित होंगे :-

1-- जिला एवं सत्र न्यायाधीश -- अध्यक्ष
2-- अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम -- सदस्य
3-- जिला पदाधिकारी -- सदस्य

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम अपने जिला में होने वाली सदस्यों की रिक्ती के सम्बंध में एक सूचना अपने कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी के सूचना पटट पर प्रकाशित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेंगे और सभी प्राप्त आवेदनों को स्क्रीनिंग कमिटि के समक्ष रखेंगे। स्क्रीनिंग कमिटि सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर प्रत्येक पद हेतु तीन नामों की सूची राज्य आयोग को उपलब्ध करायेगी।

2-- जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कमिटि का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय, पटना से [illegible] जा रही है । है। पत्र की प्रतिलिपि [illegible] से भेजी जा रही है ।

3-- यह स्क्रीनिंग कमिटि पत्र निर्गत होने की तिथि से [illegible] कार्य करेगी तथा रिक्त पदों को भरने के लिये त्वरित कार्रवाई करेगी ।

विश्वासभाजन,

सचिव ।

वित्त : विभाग ।

संकल्प

विषय :- उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग एवं जिला फोरम के विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति ।

राज्य कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित फिटमेंट कमिटि द्वारा वेतनमान संबंधी प्रतिवेदन में उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के विभिन्न पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660 दिनांक 8.2.99 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी ।

2. कालान्तर में फिटमेंट कमिटी द्वारा प्रोन्नति विषयक अनुशंसाओं में उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के पदों के संबंध में अनुशंसाएँ की गई है ।

3. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के निम्नांकित पदों के लिए [illegible] स्तम्भ (4) में अंकित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1.1.96 के प्रभाव से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	पदनाम	अपुन० वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.
1.	[illegible] सहायक (निदेशालय एवं राज्य आयोग)	रू0 1500-2750	रू0 4000-6000/-	
2.	आशुलिपिक (जिला फोरम)	रू0 1500-2750	रू0 4000-6000/-	
3.	लिपिक (राज्य आयोग एवं जिला फोरम)	रू0 1200-1800	रू0 4000-6000/-	
4.	बेन्च क्लर्क (जिला फोरम)	रू0 1200-1800	रू0 4000-6000/-	
5.	कार चालक/चालक	रू0 950-1500	रू0 3050-4590/-	
6.	आदेशपाल/झाड़कश-सह-चौकीदार	रू0 775-1025	रू0 2550-3200/-	
7.	अधीक्षक (जिला फोरम)	रू0 1400-2600	रू0 4500-7000/-	
8.	लेखापाल (राज्य आयोग)	रू0 1400-2600	रू0 4000-6000/-	

दिनांक 20.12.2000 के बाद लिपिक/बेन्च क्लर्क की रिक्ति निम्नवर्गीय लिपिक की रिक्ति मानी जायेगी तथा नयी नियुक्ति निम्नवर्गीय लिपिक के पदनाम में वेतनमान रू0 3050-4590/- में की जायेगी । पूर्व से पदस्थापित/कार्यरत पदधारक उच्च वर्गीय लिपिक कहे जायेंगे । अधीक्षक का पदनाम बदलकर "प्रधान लिपिक" किया जायेगा ।

कृ.पृ.उ.

133

94

﴾ 2 ﴿

﴾4﴿ पुनरीक्षित [illegible] स्तर में वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-

660 दिनांक 8.2.99 एवं 32 [illegible] दिनांक 2.6.99 के आलोक में दिनांक 1.1.96 को

किया जायेगा किन्तु आर्थिक [illegible] का भुगतान दिनांक 1.4.97 से अनुमान्य होगा ।

दिनांक 1.1.96 से 31.3.97 बीच की अवधि का कोई बकाया भुगतेय नहीं होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण की [illegible] जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-21.3.03

﴾ राहुल सिंह ﴿

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3एम-2-5-वे.पु.19/[illegible]-2088 /वि. ﴾2﴿, पटना, दिनांक:- 21.3.2003

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-21.3.03

﴾ राहुल सिंह ﴿

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-2088 /वि0 ﴾2﴿, पटना, दिनांक:- 21.3.2003

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-21.3.03

﴾ राहुल सिंह ﴿

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

बिहार सरकार,

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

=======

ज्ञापांक:-प्र2/वि.1-23/2003- 1538 /आ.वा.पटना-15, दि0:- 19.5.03

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य आयोग/सभी जिला फोरम के अध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. अनुरोध है कि राज्य आयोग एवं जिला फोरमों में कार्यरत कर्मियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के आधार पर कर, विभाग को सूचना देने की कृपा करें ताकि वित्तीय अनियमितता का प्रश्न नहीं उठे ।

﴾ के. एस. शर्मा ﴿

सरकार के उप सचिव ।

17/6

OFFICE OF THE STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL
COMMISSION:BIHAR:PATNA.

No 125 / 17-2-03 Patna the

From: R.L. Ravidas,
Secretary.

To

All Collectors/District Magistrates.

Sub:- Administrative control on the staff of the District Forum.

Sir,

I am directed to say that it has come to the notice of the State Commission that in several districts the Administrative control over the staff of the District forum being exercised by the District Administrative, which is inconsistent with Section-24 B of the Consumer Protection Act, 1986. The Hon'ble Supreme Court in its order dated 10.7.2002 in SLP(C) 69281/1999 has also made it clear that the State Commission had been vested with Administrative control over all the District Forum and no officer of the executive shall carry out inspection of the District Fora and carry out exercise any administrative control thereon. The order of the Hon'ble Supreme Court is also enclosed for needful.

It is therefore, requested that no interference be done in the jurisdiction of District Forum.

Yours faithfully,

Secretary.

Memo No ______ /dt.

Copy to all the President, District Consumer Forum, Bihar for information and necessary action.

Copy to the Commissioner-cum-Secretary, Food Supply & Commerce Department, Govt. of Bihar, Patna for needful action.

Secretary.

135

बिहार सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना ।

पत्रांक- पु० वि । - 25/97- 3437 पटना, दिनांक ....?8.9.97

प्रेषक,
श्री पी०एन० नारायणन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,
उपायुक्त,
राँची ।

विषय: उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राँची जिला उपभोक्ता फोरम बिहार में तृतीय / चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के समायोजन के आधार पर नियुक्ति ।

प्रसंग: आपका पत्रांक- 351(ii) दिनांक 15.7.97 एवं पत्रांक-300 दिनांक 8.?.

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग में दिनांक 16/9/97 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जिला पदाधिकारी / उपायुक्त की बैठक के बा[द] आपसे हुई वार्त्ता का स्मरण किया जाय । आपने अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना मद में सृजित पदों पर राँची जिल[ा] फोरम में नियुक्त किये जानेवाले कर्मियों के पदनाम के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया ज[ाय ।]

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुशंसा के आलोक में अखिल भारतीय आकार को ध्यान में रखकर सभी जिला उपभोक्ता फ[ोरम] में आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत समान रूप से अन्य पदों के अलावा निजी सहायक / आशु[लिपिक] बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद सृजित किया है । इन पदों के वेतनमान के अनु[सार] निजी सहायक का जो पद है वह आशुलिपिक का ही है तथा बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक का जो पद है वह भी लिपिक का है । कर्मचारियों की वरीयता, वेतन एवं अ[न्य] कठिनाईयों का निराकरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाना है अतएव इन पदों पर जिला पदाधिकारी का प्रशासनिक नियंत्रण रहना आवश्यक है इसलिए जिला पदाधिकारी को नियुक्ति पदाधिकारी बनाया गया है । चूँकि उन प[द] पर आपका प्रशासनिक नियन्त्रण है, इसलिए आप अपनी इच्छानुसार निजी सहाय[क] बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक को जिला संवर्ग के अन्य शाखा में क्रमश: आशुलि[पिक] एवं लिपिक के रूप में स्थानान्तरित कर/ले सकते हैं, परन्तु उनके स्थान पर जो आशुलि[पिक] एवं लिपिक उपभोक्ता संरक्षण शाखा में यदि स्थानान्तरित होकर आयेंगे तो उ[स] पद पर बने रहने की अवधि में वे निजी सहायक / बेंच क्लर्क एवं निम्नवर्गीय लिपिक के पदनामित होंगे ।

(क्रमश: उलटें)

अत: उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में औपचारिक रूप से कार्मिकों के योगदान की तिथि से ही नियुक्ति-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।
20/9/94

ज्ञापांक- प्रा० शि०- 29/97- 3437 पटना, दिनांक 20.9.94

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी / उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
20/9/94

(397)

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक पूo-वि-01/96 खण्ड-1...2411.../आoवाo, पटना-15, दिनांक 30 जून, 1997ई0 ।

प्रेषक,

श्री कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
प0 सिंहभूम/सीवान/सीतामढ़ी/चाईबासा/पूर्णियाँ/
बोकारो/दरभंगा/जहानाबाद/मधुबनी एवं गया ।

विषय:- उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिला उपभोक्ता फोरम, बिहार में तृतीय वर्ग के कर्मचारी के समायोजन के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 4555, दिनांक 18.11.96, 4556, दिनांक 18.11.96, पत्रांक पूo-वि-01/96-995 दिनांक 11 फरवरी, 96, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का पत्रांक ए0118/95-** 2239, दिनांक 05/4/97, पत्रांक 1980, दिनांक 21.3.97, पत्रांक ए.118/95-1916, दिनांक 21.3.97 पत्रांक ए.-118/95-2481, दिनांक 17/4/97 एवं पत्रांक ए.-28/96-2482, दिनांक 17.4.97

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिला उपभोक्ता फोरम बिहार में रिक्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के पद पर उनके नाम के सामने अंकित जिला फोरमों के जिलाओं में समायोजन के आधार पर जिला पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में संलग्न सूची में पद एवं उल्लिखित वेतनमान में अस्थायी रूप से जिला पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है ।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नियुक्ति की तिथि को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष रहनी चाहिए । सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी उसका सत्यापन अपने स्तर से स्वयं सुनिश्चित करेंगे ।

निगम के कर्मचारियों को जो वेतन तत्काल उन्हें निगम द्वारा भुगतान किया जाता है, नियुक्ति के समय विभाग द्वारा वेतन निर्धारित करने के समय उन्हें प्राप्त होने वाला वेतन से कम नहीं मिले, को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान में उल्लिखित अंतिम वेतन में उन्हें नियुक्त किया जायेगा ।

कार्मिकों की नियुक्ति के पश्चात उन कर्मचारियों पर बिहार सेवा संहिता तथा बिहार सरकार के सभी सेवा नियम प्रभावित होगा ।

कार्मिकों के योगदान के पश्चात एक वर्ष तक की अवधि प्रोबेशन काल होगा । एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा के उपरान्त उन्हें सम्पुष्ट किया जायेगा ।

उपर्युक्त पदों पर केन्द्रियकृत रूप से राज्य सरकार द्वारा रोस्टर क्लीयरेन्स करवा लिया गया है ।

कृ0पृ0उ0-2/-

नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों/नियुक्ति के लिए योगदान करने हेतु उन्हें पैतृक विभाग या नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का यात्राभत्ता का भुगतान भुगतेय नहीं होगा।

नियुक्ति किये जानेवाले कर्मचारियों की वरीयता जिला सम्वर्ग में योग दान करने की तिथि से नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

कर्मचारियों को जिस सेवा सम्वर्ग में नियुक्त किया जा रहा है उसी सेवा सम्वर्ग के लिए जो सेवा नियम प्रभावी है वही नियम प्रभावी होगा।

नियुक्ति पदाधिकारी कार्मिकों के योगदान के समय उनके पैतृक विभाग से उनकी सेवा पुस्त प्राप्त कर तथा उसकीजाँचकर उन्हें नियुक्त करेंगे।

उपर्युक्त सभी आदेशों/ निदेशों को ध्यान में रखकर नियुक्ति पदाधिकारी अपने जिला के जिला उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित कर्मचारियों को नियुक्त कर पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन इस विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

कार्मिकों की सूची:-

क्रमांक	कार्मिकों का नाम	पैतृक विभाग का नाम	विभागीय पत्रांक पु8-36-01/96 695 दि. 11 फरवरी 1997 में अंकित क्रमांक	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम जिसमें पदस्थापित किया जाना है।	पदनाम जिसपर पदस्थापित किया जाना है	विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री कामता प्रसाद चौधरी	कृ.स.फु.सि.स. का0लि0पटना।	131	प0 सिंहभूम	लिपिक	1200-1800
2.	श्री सिद्धेश्वर मांझी	,, ,,	74	सीवान	निम्नवर्गीय लिपिक	,,
3.	श्री मोहन प्रसाद	,, ,,	41	सीतामढ़ी	निजी सहायक	1500-2750
4.	श्री रूप नारायण प्रसाद	,, ,,	53	घाटशिला	बेंच कलर्क	1200-1800
5.	श्री अन्नत बिहार लाल दास	,, ,,	165	पूर्णियाँ	लिपिक	1200-1800
6.	श्री दिनेश प्रसाद सिंह	,, ,,	76	गया	निम्नवर्गीय लिपिक	1200-1800
7.	श्री सुरेन्द्र दास	,, ,,	109	बोकारो	निम्नवर्गीय लिपिक	1200-1800
8.	श्री रणधीर सिंह	,, ,,	146	दरभंगा	लिपिक	1200-1800
9.	श्री श्याम नारायण मल्लिक	,, ,,	149	जहानाबाद	लिपिक	1200-1800
10.	श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा	,, ,,	44	मधुबनी	बेंचकलर्क	1200-1800

विश्वासभाजन,

सरकार के अवर सचिव 4/5

कृ0पृ030-3.

ज्ञापांक पु8-वि1-01/96-खण्ड-1........../आ0आ0, पटना-15, दिनांक जून, 1997ई0 ।

प्रतिलिपि, निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय बिहार, पटना खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण बिहार। 20, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी पटना/ प्रबन्ध निदेशक बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवापुस्त विवरणी से सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय । सम्बन्धित जिला के जिला फोरम में योगदान देने की तिथि से उन्हें विरमित माना जायेगा ।

सरकार के अपर सचिव । 28/6/97

ज्ञापांक पु8-वि1-01/96 खण्ड-1-2411......../आ0आ0, पटना-15, दिनांक 30 जून, 1997ई0 ।

प्रतिलिपि, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव । 28/6/97

ज्ञापांक पु8-वि1-01/96-खण्ड-1...2411......./आ0आ0, पटना-15, दिनांक 30 जून, 1997ई0

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव । 28/6/97

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

कार्यालय आदेश

प्र0 वि0-01/96 --1455--/आ0 वा0, पटना-15, दिनांक- 31/7/97

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4555 दिनांक-18·11·96, पत्रांक-4556 दिनांक- 18·11·96, प्र0 वि0-01/96 - 695 दिनांक- 11 फरवरी96 बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 के पत्रांक -ए0/20/96- 1356 दिनांक-27·2·97, पत्रांक- ए·20/96-1602 दिनांक- 10·3·97, पत्रांक-ए·110/95- 1359 दिनांक-27·2·97 के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार/ उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना में रिक्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के पद पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित पदनाम एवं वेतनमान में खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में समायोजन के आधार पर अस्थाई रूप से योगदान देने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

लेखापाल के पद पर नियुक्त कर्मचारी को 1-2 साल के अन्दर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा अंतिम स्तर पर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

नियुक्ति की तिथि को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा कम से कम तीन वर्ष शेष रहनी चाहिए। सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारी इसका सत्यापन अपने स्तर से स्वंय सुनिश्चित करेंगे।

निगम के कर्मचारियों को जो वेतन तत्काल उन्हें निगम द्वारा भुगतान किया जाता है, नियुक्ति के समय विभाग द्वारा वेतन निर्धारित करने के समय उन्हें प्राप्त होनेवाला वेतन से कम नहीं मिले, को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान में उल्लिखित अंतिम वेतन में उन्हें नियुक्त किया जायेगा।

कार्मिकों को नियुक्ति के पश्चात् इन कर्मचारियों पर बिहार सेवा संहिता तथा बिहार सरकार के सभी सेवा नियम प्रभावित होगा।

कार्मिकों के योगदान करने के पश्चात् एक वर्ष तक की अवधि प्रोबेशन-काल होगा। एक वर्ष को संतोषप्रद सेवा के उपरान्त उन्हें संपुष्ट किया जायेगा।

नियुक्त किये जानेवाले कर्मचारियों को नियुक्ति के लिये योगदान करने हेतु उन्हें पैतृक विभाग या नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता का भुगतान भुगतेय नहीं होगा।

नियुक्त किये जानेवाले कर्मचारियों की वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

कर्मचारियों को जिस सेवा संवर्ग में नियुक्त किया जा रहा है उसी सेवा संवर्ग के लिये जो सेवा नियम प्रभावित है वही नियम प्रभावी होगा।

(कृ0 पृ0 उ0)

(141)

निगुक्ति पदाधिकारी कार्मिकों के योगदान के समय उनके पैतृक विभाग से उनको सेवापुस्त प्राप्त कर तथा उसको जाँच कर उन्हें नियुक्त करेंगे।

निम्नलिखित सम्बन्धित कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 15 [पन्द्रह] दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना योगदान कर लेना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी।

कार्मिकों की सूची

क्रमांक	कार्मिकों का नाम	पदनाम	वेतनमान जिसमें नियुक्त किया जाना है।	पैतृक विभाग का नाम।	विभागीय पत्रांक- पृ0वि1-01/96-695 दि0 11.2.97 में अंकित क्रमांक।	पदस्थापित किये जाने वाले विभाग का नाम।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री शिव कुमार प्रसाद	निजी सहायक	1500-2750	बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0।		राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना।
2.	" मो0 सलीमुद्दीन	"	"	"		"
3.	" इरफान अहमद	"	"	"		"
4.	" अशोक कुमार झा	लेखापाल	1400-2600	"		"
5.	" महेन्द्र कुमार सिन्हा	लिपिक	1200-1800	"		"
6.	" युगल किशोर राम	कारचालक	950-1500	"		"
7.	" रमाशंकर लाल श्रीवास्तव	निजी सहायक	1500-2750	"		उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय बिहार, पटना
8.	" अब्दुल रहमान	कारचालक	950-1500	"		

विश्वासभाजन,

[ह0] 27/3/97

[के0 पी0 सिन्हा]

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पृ0वि1-01/96 --1455--/आ0 वा0, पटना-15, दिनांक- 31/3/97

प्रतिलिपि अध्यक्ष, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, 120, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, पटना/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, पटना/ प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन

[क्र0 पृ0 उ0]

194 / 142

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक पृ11-यो.-01/96- 3754 /आ०वा०, पटना-15, दिनांक 17 जुलाई, 1996 ई०

प्रेषक,

श्री पी०एन०नारायणन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वर्ष 1996-97 के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गठित जिला फोरमों के लिए अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति ।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गठित जिला फोरमों के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार पदों की सृजन की स्वीकृति सरकार द्वारा अस्थायी रूप से दिसम्बर, 96 से फरवरी, 97 तक के लिए दी जाती है । वर्ष 1996-97 में रूपए 32,57,811=00 (बत्तीस लाख संतावन हजार आठ सौ ग्यारह रुपये खर्च होंगे । आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जा रहा है । इन अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य निगम एवं अन्य निगमों के अतिरिक्त कर्मचारियों से की जायगी तथा कोई भी नया नियुक्ति नहीं होगी । जिला स्तर पर नियुक्ति के बिन्दु पर कोई कार्रवाई नहीं की जायगी ।

2. रूपर होने वाला खर्च भून्य/क्षेत्र के मांग संख्या 3456 नागरिक पूर्ति योजना-800 अन्य व्यय-अन्य क्षेत्रीय उपयोजना जिला प्रभार-जन वितरण प्रणाली व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण" से तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मांग संख्या "3456 नागरिक पूर्ति योजना-796 जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना- उपयोजना-जिला प्रभार- जन वितरण प्रणाली व्यवस्था-उपभोक्ता संरक्षण" से विकलनीय होगा ।

3. योजना एवं विकास विभाग के ज्ञापांक 833 दिनांक 3.7.96 द्वारा योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(signature)

सरकार के सचिव 17/7

ज्ञापांक 3754/आ०वा०, पटना-15, दिनांक 17 जुलाई, 1996 ई०

प्रतिलिपि, सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(signature)

कृ०पृ०उ०-2

सरकार के सचिव 17/7

193

ज्ञापांक 2740 /आ०वा०, पटना-15, दिनांक 17 जुलाई, 1996 ई०।

प्रतिलिपि, विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/अध्यक्ष राज्य आयोग/सभी जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष सभी जिला फोरम/निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार/प्रशाखा 1, 8 एवं 10 खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के सचिव।

17/7/96

सारणी –1

राष्ट्रीय आयोग के मापदण्ड के अनुसार न्यूनतम आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति :-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
	(क) पटना जिला फोरम :-		
1.	अधीक्षक	1.	1400-2600
2.	आशुलिपिक	1	1500-2750
3.	आदेशपाल-सह-चौकीदार	1	775-1025
	(ख) धनबाद जिला फोरम :-		
1.	अधीक्षक	1	1400-2600
2.	आशुलिपिक	1	1500-2750
3.	आदेशपाल-सह-चौकीदार	1	775-1025
	(ग) छपरा जिला फोरम :-		
1.	अधीक्षक	1	1400-2600
2.	आशुलिपिक	1	1500-2750
3.	आदेशपाल-सह-चौकीदार	1	775-1025
4.	चपरासी	1	775-1025
	(घ) राँची जिला फोरम :-		
1.	अधीक्षक	1	1400-2600
2.	आशुलिपिक	1	1500-2750
3.	चपरासी	1	775-1025
4.	आदेशपाल-सह-चौकीदार	1	775-1025
	(ङ) अन्य 51 जिला फोरम :-		
1.	अधीक्षक	51	1400-2600
2.	आशुलिपिक	51	1500-2750
3.	नि०व० लिपिक	51	1200-1800
4.	चपरासी	51	775-1025
5.	आदेशपाल-सह-चौकीदार	51	775-1025